कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः— 6753 / 12—1 गोपेश्वर, दिनांक 20 जून 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
देहरादून।

द्वारा— निदेशक/ वन संरक्षक नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर।

विषयः— जनपद चमोली के अन्तर्गत गोपेश्वर मंदिर मार्ग से वेतरणी से सिरोखुमा — सिदुणा — बैरागना मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.00 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

संदर्भः— अनुसचिव उत्तराखण्डशासन का पंत्राक 435 /X-4-16/1(124) 2016 दिनांक 20—05—2016 तथा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 का पत्रांक 718/1 सी0 (वन) दिनांक 01—06—2016

महोदय,

विषयॉकित प्रकरण के सम्बन्ध मे चाही गई आख्या बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है:—

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	ग्राम पंचायत बैरागना व देवलधार की अनुमति /अनापत्ति निर्धारित प्रारूप/ प्रपत्र पर ग्राम पंचातय अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।	Part I के Column I के Additional information Details) के कम संख्या 1 में upload किया गया है।
2	चिहिन्त संरेखण से आच्छादित हो रहे भूमिधरों के साथ निर्धारित प्रारूप /प्रपत्र पर अनुबंध पत्र/ समुचित अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न / अपलोड नहीं है।	Part I के Column I के Additional information Details) के कम संख्या 18 में पृष्ठ संख्या 74 एवं 75 upload किया गया है।
3	मक डिस्पोजल हेतु चिन्हित भूमि के सम्बन्ध मे सम्बन्धित पक्ष /विभाग के साथ संपादित अनुबंध का विवरण संलग्न नही है। मक डिस्पोजल स्कीम /आख्या /तुलनात्मक विवरण प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर अपलोड /उपलब्ध नहीं कराया गया है।	Part I के Column I के Additional information Details) के कम संख्या 18 में upload किया गया है।
4	प्रस्तावित मार्ग की वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से दूरी 10 किमी0 के अन्दर दर्शाया गया है। क्या भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रकरण में समुचित अधिकारी /मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की आख्या अपेक्षित नहीं है ?	प्रस्तावित परियोजना केदारनाथ कस्तूरा मृग विहार की सीमा से बाहर है। परियोजना की कुल लम्बाई 6.00 किमी0 है, परियोजना हेतु कुल याचित भूमि 5.00 है0 से कम है तथा प्रति है0 50 वृक्ष से कम है, प्रकरण को राज्य सरकार द्वारा निस्तारित किया जाना है।

वर्तमान में मोटर मार्ग न होने से क्षेत्र विकास में बहुत पिछडा है, वहाँ बसी जनसख्या का ना ही सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हो पाया है। सामान्य दैनिक कार्यो हेतु भी ग्रामीणों को 7—8 किमी0 की दूरी पैदल तय करनी पडती है। अस्वस्थता तथा महिलाओं को प्रसव आदि की स्थिति में मोटर मार्ग न होने के कारण समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है, जिसे उनके जीवन का संकट उत्पन्न हो जाता है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु जनहित में आवश्यक है, जिसकी प्रबल संस्तुति की जाती है।

अतः अनुरोध है कि विषयॉकित प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीया,

(नीतू लक्ष्मी एम0)
उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।